आदेश

प्रायः ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों (विधायक/पार्षद) तथा माननीय सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जिलों से अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया जाता है। जिला स्तर पर इस संबंध में ससमय निर्णय नहीं होने अथवा समन्वय के आभाव के कारण माननीय सदस्यों के साथ अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति में कठिनाई होती है।

अतः सम्यक विचारोपरांत कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के मामलों में निम्न आदेश दिये जाते हैं :-

1. यदि बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों (विधायक/पार्षद) अथवा माननीय सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जिलों से अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया जाय, तो अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुशंसित सिपाहियों का स्थानान्तरण माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिला में करते हुए उनके साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय।
2. यह प्रतिनियुक्ति माननीय सदस्य के सेवाकाल तक ही प्रभावी होगी।
3. माननीय सदस्य के सेवाकाल की समाप्ति के उपरान्त उक्त सिपाही का स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगा तथा उनकी वापसी पैतृक जिला बल में हो जायेगी।
4. अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुशंसित इन सिपाहियों की सेवा-विवरणी पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय तथा इनकी सेवा-पुस्तिका माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई जाय।
5. गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार के पत्र संख्या-562 दिनांक-28.01.2011 के आलोक में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित महानुभावों के साथ निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही अंगरक्षक प्रतिनियुक्त रहें।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना

ज्ञापांक 198/एल-2
52-14-21-2016
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 22/1/16

प्रतिलिपिः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रेल सहित बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/16

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।